Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 अंक- 56 रायपुर, शनिवार 22 मार्च 2025 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम

रायपुर, 22 मार्च (हाईवे चैनल)। पंचायत संचालनालय संचालक ने प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने सभी हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र में आदेश दिया है कि हड़ताली सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर कर्तव्यों पर लौटने के लिए निर्देश जारी करें. वहीं निर्देश के पालन न करने पर हड़ताली सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है.

सरकार ने दिखाई सख्ती

बता दें, प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सचिव 17 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है. हड़ताल के कारण अनिवार्य सेवाओं और हितग्राहीमूलक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी रुकावट आ रही है. इसे देखते हुए संचालक ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर यह आदेश जारी किया है और पत्र में ग्राम पंचायतों के कार्यों के संपादन हेतु सचिवों की व्यवस्था और पंचायत निधि के आहरण से संबंधित निर्देश दिए गए हैं.

जल्द ही बढ़ने वाली हैं जमीन रजिस्ट्री की शुल्क

रायपुर, 22 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 6 साल बाद जमीनों का सरकारी मूल्य बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 2019 से छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइड लाइन दरों में परिवर्तन न होने से रजिस्ट्री शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मूल्य रिवाइज होने पर जमीन की कीमतों सहित रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ जाएगा।

कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार जमीन की सरकारी गाइडलाइन अनुसार मूल्य न बढ़ने से प्रदेश के लोगों को जमीन की खरीद और रजिस्ट्री में राहत मिलती रही है। अब दर बढ़ाने की तैयारी है। इससे जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। पिछले 6 साल से गाइडलाइन दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। रजिस्ट्री में मिलने वाली 30 फीसदी की छूट लगभग साल भर पहले ही खत्म की जा चुकी है। अब इसमें भी 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है। गाइडलाइन दरें बढ़ने से जमीनों का रेट बढ़ेगा, इसका लाभ जमीन मालिकों और विक्रेताओं को मिलेगा। गाइडलाइन दर बढ़ने की आशंका पर लोग पहले ही जमीन खरीदी-बिक्री कर लेना चाहते हैं। होली के समय इसमें कमी आई थी। अभी प्रतिदिन सौ से ज्यादा रजिस्ट्री स्थानीय जिला कार्यालय में हो रहीं हैं। तहसील को मिलाकर यह संया ज्यादा है। 31 मार्च तक इसमें और तेजी आएगी। बडे इंवेस्टर्स और रियल इस्टेट कारोबारी यह पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जमीनों के सरकारी रेट पूर्ववत रहेंगे या बढ़ोतरी की जाएगी।

पंजीयन विभाग के पत्र के बाद प्रशासन हुआ सक्रिय= पंजीयन विभाग रायपुर ने कलेक्टरों को इस संदर्भ में पत्र भेजा है। कई बिंदुओं पर सरकारी रेट बढ़ाने के संदर्भ में जानकारी मंगाई गई है। इसके बाद प्रशासन ने जिले के सभी तहसील और ब्लॉक से कृषि, आवासीय, व्यवसायिक जमीनों की खरीद बिक्री दरों की जानकारी मंगवाई है। 15 अप्रैल तक सभी जिलों से रिपोर्ट रायपुर जाएगी। इसके बाद निर्णय होगा कि कितना रेट बढ़ाया जाए या फिर यथावत रखा जाए।

जमीन की कीमतों में भी होगी बढ़ोतरी

रजिस्ट्री में मिलने वाली 30 प्रतिशत छूट पहले ही खत्म= जिला पंजीयक के आर. स्वर्णकार ने कहा कि जमीन की दरें रिवाइज करने के लिए राज्य शासन और प्रशासन से मिले निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया शुरू की गई है। जिले, तहसील और ब्लॉक स्तर से जमीन के खरीद मूल्य की जानकारी संबंधित अधिकारियों के माध्यम से 31 मार्च तक मंगवाई जा रही है। इसके बाद जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार दरें तय की जाएंगी।

ओव्हरब्रिज में बड़ा हादसा, हाईवा के कुचलने से युवक की मौत

दुर्ग, 22 मार्च (हाईवे चैनल)। धमधा नाका ओव्हरब्रिज में ग्रीन चौक के पास शुक्रवार की दोपहर एक तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी सवार युवक को अपने चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया। मृत युवक संस्कार शर्मा २८ वर्ष पिता स्व.रमेश शर्मा चांदनी चौक गंजपारा दुर्ग का निवासी था। हादसे के बाद से हाईवा का चालक वाहन समेत फरार है। जिसकी मोहननगर पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह दर्दनाक हादसा दोपहर करीब १.३० से २ बजे के बीच की है। बताया गया कि गंजपारा दुर्ग निवासी संस्कार शर्मा स्कूटी से अपने किसी मित्र को छोड़कर धमधानाका ओव्हरब्रिज से होते हुए ग्रीन चौक की ओर आ रहा था। तभी एक हाईवा ग्रीन चौक से धमधानाका की ओर जा रही थी।

इस दौरान धमधानाका ओव्हरब्रिज पर ग्रीन चौक से करीब १०० मीटर पहले तेज रफ्तार हाईवा के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटी सवार युवक संस्कार शर्मा को अपने चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाईवा ने युवक को कुचल दिया था, जिससे संस्कार शर्मा को गंभीर चोटे आने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दी। उधर हादसे के लिए दोषी हाईवा का चालक मौके का फायदा उठाकर वाहन समेत फरार हो गया। बहरहाल मोहननगर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया गया है, वहीं फरार हाईवा चालक की खोजबीन तेज कर दी गई है।

ब्रेकिंग न्यूज

नागपुर हिंसा मामले में हामिद इंजीनियर गिरफ्तार

नई दिल्ली, 22 मार्च (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र में पुलिस ने शुक्रवार देर रात नागपुर हिंसा मामले में हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार किया। हामिद माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है। डीसीपी नागपुर लोहित मतानी ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले हफ्ते की शुरुआत में नागपुर में हुई हिंसा के सिलसिले में शुक्रवार को 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई थी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में 10 किशोर भी शामिल हैं। घटना के सिलसिले में तीन और एफआईआर दर्ज की गई हैं। दरअसल, 17 मार्च को नागपुर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी की खबरें आई थीं। ऐसी अफवाह थी कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र शिलालेखों वाली चादर को नुकसान पहुंचाया गया।

परिसीमन के विरोध में स्टालिन ने की बड़ी बैठक, शामिल हुए विपक्ष के कई नेता

नई दिल्ली, 22 मार्च (न्यूज चैनल)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को चेन्नई में इस मुद्दे पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी डीएमके सरकार परिसीमन प्रक्रिया के निष्पक्ष होने तक लड़ाई जारी रखेगी। बैठक में केरल, पंजाब, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी शामिल हुए। स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने लंबे समय से चिंता व्यक्त की है कि प्रस्तावित परिसीमन से लोकसभा की संख्यात्मक ताकत उत्तर भारतीय राज्यों के पक्ष में झुक जाएगी और परिवार नियोजन उपायों के लिए दक्षिण भारत को दंडित किया जाएगा, हालांकि भाजपा ने इससे इनकार किया है।

स्टालिन ने कहा कि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम सभी को इसका डटकर विरोध करना चाहिए। संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या कम होने से हमारी अपनी बात कहने की ताकत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, तो राज्यों के लिए धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, एक जज के घर नगदी 15 करोड़ रुपए मिले हैं।

चुहिया- हां जी, 'न्याय' शुल्क तो लगता ही है न...!

ऑटो पार्ट्स दुकान का संचालक सट्टा संचालित करते गिरफ्तार

रायपुर, 22 मार्च (हाईवे चैनल)। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर श्री अमरेश मिश्रा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को जुआ/सट्टा खेलने एवं खिलाने वालों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 21.03.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत राजिम रोड स्थित मां शारदा ऑटो पार्ट्स दुकान के संचालक द्वारा अंको में दांव लगाकर पर्ची के माध्यम से सट्टा संचालित किया जा रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त दुकान पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान दुकान में उपस्थित व्यक्ति द्वारा पर्ची के माध्यम से सट्टा संचालित करना पाया गया। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति से पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम कैलाश गुप्ता होने के साथ ही स्वयं को दुकान का संचालक होना भी बताया। जिस पर सटोरिया कैलाश गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी रकम 2260 रूपये, सट्टा-पट्टी तथा डाट पेन जप्त कर सटोरिया के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 126/25 धारा 4(क) जुआ अधिनियम एवं 6 छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

पूर्व आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला

बिलासपुर, 22 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट ने उनकी 2 अग्रिम जमानत याचिका का सुरक्षित फैसला शुक्रवार को सुनाया. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई में रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें, रानू साहू कोल लेवी घोटाले मामले में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी) और आईपीसी की धारा 120बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत दो अलग- अलग मामले दर्ज हैं. इनमें संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकील द्वारा 2 जमानत याचिकाएं लगाई गई थीं, जिन पर 31 जनवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रखा गया था. फिलहाल कोर्ट ने उन्हे राहत देने से इंकार कर दिया है. पूर्व आईएएस रानू साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज शिकायत के अनुसार, उनपर आरोप है कि उनके और उसके परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति है. साथ ही, उसने सूर्यकांत तिवारी के कोयला लेवी सिंडिकेट की मदद की. यह सिंडिकेट कोयला डिलीवरी ऑर्डर पर परमिट जारी करने के लिए प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली करता था. शिकायत में कहा गया कि 2015 से अक्टूबर 2022 तक आवेदक और उसके परिवार ने 24

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला

अचल संपत्तियां खरीदीं. 2011 से 2022 तक उसे वेतन के रूप में 92 लाख रुपए मिले, जबकि उसने 3.93 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदीं. इस आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. इसके अलावा एक अन्य मामला भी दर्ज कराया गया है.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था. ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके. वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसपर श्वष्ठ के अनुसार निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया का हाथ था.

धमतरी की महानदी जलाशय परियोजना है छत्तीसगढ़ की लाईफ लाईन, सवा 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की होती है सिंचाई

आशीष मिन्नी

धमतरी, 22 मार्च (हाईवे चैनल)। हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। जल दिवस पर जिले के जल स्त्रोत व उनकी उपयोगिता को याद किया जा रहा है। धमतरी जिले में प्राकृतिक जल संसाधनों को बांध के रुप में सिंचित कर न सिर्फ धमतरी जिले बल्कि प्रदेश वासियों को कई प्रकार की जल सुविधाएँ मुहैय्या कराने का सराहनीय कार्य किया गया है।

ज्ञात हो कि महानदी जलाशय परियोजना की नींव 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने 5 जून को रखी थी, जो 8 साल में बनकर तैयार हुई और उदघाटन सन् 1980 में हुआ। उस समय हेड वर्क यूनिट और फीडर केनाल बनाने में 29.15 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यहां से सिंचाई सुविधा मिलने से अंचल में हरित क्रांति आई है। इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में परिवर्तित करने के लिए गंगरेल नामक ग्राम के निकट महानदी में बांध बनाया गया, इसलिए इसे गंगरेल बांध या महानदी परियोजना के नाम से जाना जाता है। इससे सिंचाई के अतिरिक्त मत्स्य पालन, औद्योगिक क्षेत्रों को जलापूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन, पेयजल व निस्तारी आदि उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। यह बांध शीर्ष पर 1375.75 मीटर लंबा तथा 32 मीटर ऊंचा है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 3670 वर्ग किमी तथा इसकी कुल भंडारण क्षमता 90932 हेक्टेयर मीटर है। इस बांध से रायपुर, बलौदाबाजार, अभनपुर, धमतरी, कुरूद, तिल्दा तथा भाटापारा तहसीलों की लगभग सवा 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त भिलाई स्टील प्लांट, रायपुर नगर निगम, धमतरी को भी पानी जरूरत अनुसार नियमित दिया जाता है। इस जलाशय के बनने से 22 राजस्व ग्राम एवं 3 वनग्राम पूर्ण रूप से और 27 राजस्व ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इन 52 ग्रामों में से 12 ग्रामों की स्थिति ऐसी थी कि उनकी आबादी का क्षेत्र डूब क्षेत्र से बाहर था, इसलिए उन्हें बसाहट के लिए अन्य ग्रामों में नहीं जाना पड़ा। बांध की स्थापना 1978 में की गई है। यह महानदी पर निर्मित है। यह राज्य का सबसे लम्बा बांध है, जिसकी कुल ऊंचाई - 1365 मीटर है। गंगरेल बांध में कुल 14 गेट है। बांध की जल भराव क्षमता 32.150 टीएमसी है। यहाँ 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना संचालित है।

- सिंचाई, बीएसपी पानी सप्लाई, पर्यटन, मत्स्यपालन, ७विद्युत उत्पादन, पेयजल व निस्तारी आदि उद्देश्यों की हो रही पूर्ति
- आज विश्व जल दिवस : स्वच्छ, सुरक्षित, जल उपलब्धता व जल संरक्षण पर दिया जा रहा जोर

दुनिया के 1.6 बिलियन लोग जूझ रहे है स्वच्छ, सुरक्षित जल आपूर्ति की समस्या से - ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई तथा वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व साफ पीने योग्य जल का महत्व आदि बताना था। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में अपने एजेंडा 21 में रियो डी जेनेरियो में इसका प्रस्ताव दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लगभग 4 बिलियन लोग वर्ष में कम से कम महीने के लिए पानी की भारी कमी का अनुभव करते हैं और लगभग 1.6 बिलियन लोग दुनिया की आबादी का लगभग एक चौथाई एक स्वच्छ, सुरक्षित जल आपूर्ति तक पहुँचने में समस्याएं हैं।

महानदी परियोजना (1980)- यह छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना से धमतरी रायपुर व दुर्ग जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है महानदी जलाशय परियोजना के अंतर्गत 6 जलाशय एवं महानदी पोषक नहर और सोंदूर पोषक नहर सम्मिलित है महानदी जलाशय परियोजना में मुरूमसिल्ली (1923), दुधावा (1963), रविशंकर जलाशय / गंगरेल बांध (1978) सिकासर (1979), सोंदूर (1988), एवं पैरी हाईडेम सम्मिलित है।

रुद्री बैराज चार जिलों की है जीवन रेखा- जल संसाधन विभाग के अनुसार इसकी स्थापना 1915 में की गई। यह महानदी पर निर्मित है। यह प्रदेश की पहली निर्मित परियोजना है। 1993 में रुद्री पिक-अप वियर का स्थान रुद्री बैराज ने लिया। ब्रिटिश शासन काल के दौरान रुद्री में महानदी पर बैराज का निर्माण किया गया था। यहां ब्रिटिश कालीन तकनीक और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना देखा जा सकता है। बड़े-बड़े पत्थरों को एक आकार में काटकर इनकी जोड़ाई चूने से की गई थी, जो अब मजबूत स्थिति में है, लेकिन रुद्री बैराज चार जिलों की जीवन रेखा है। इनमें धमतरी जिले के साथ बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार जिले शामिल हैं। इस बैराज से महानदी मुख्य नहर के जरिए 6 लाख 60 हजार एकड़ खेतों की फसलों को सिंचाई सुविधा मिल रही है। साथ ही सैकड़ों गांवों और रायपुर-धमतरी शहर के लोगों को पेयजल व निस्तारी सुविधा उपलब्ध हो रही है। फसलों की सिंचाई के लिए बैराज से 116 किमी लंबी मुख्य नहर बनाई गई है।

एशिया का पहला सायफन बांध है मुरूमसिल्ली- इसकी स्थापना 1914 और 1923 के बीच हुई। यह जलाशय सिलियारी नदी पर स्थित है। इस जलाशय का निर्माण एलफिस्टन द्वारा की गई थी तथा यह एशिया का पहला सायफन बांध है। इस जलाशय का नाम परिवर्तन कर बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया है।

स्वत्रंता प्राप्ति के पश्चात यह राज्य का पहला बांध है दुधावा जलाशय- दुधावा जलाशय कांकेर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। यह भी महानदी पर निर्मित है। स्वत्रंता प्राप्ति के पश्चात यह राज्य का पहला बांध है। बांध का निर्माण 1953 ई. में शुरू हुआ और 1963 ई. में समाप्त हुआ। इस बांध की ऊंचाई 24.53 मीटर और लंबाई 2906.43 मीटर है। दुधवा बांध, सिहावा पर्वत से 21 किमी और कांकेर से